अनुस्मारक– 1

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बाराबंकी।

पत्रांक 1983/14–4–4, दिनांक, बाराबंकी, 21/11 /2017.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत पारेषण खण्ड, द्वितीय एस– 348
शक्तिनगर, इन्दिरानगर ए– ब्लाक
लखनऊ।

विषयः– जनपद बाराबंकी में निर्माणाधीन 220 के0वी0 कुर्सी रोड– पी0जी0आई0सी0एल0 लाइन लखनऊ पारेषण लाइन के टावर लोकेशन संख्या– 23 (बी+0) से (बी0+5) के मध्य वन विभाग की भूमि के ऊपर कन्डक्टर की स्प्रिंग करने हेतु प्रभावित 0.581 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः– विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग– 2 लखनऊ के कार्यालय का पत्रॉक–पी–180/14– 2–2016 –800 (203)/2016 दिनॉक 01–08–2017 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय का पत्रॉक– 322/11–सी–एफपी/यूपी/ट्रान्स/19337/2016 दिनांक 04–08–2017 तथा इस कार्यालय का पत्रॉक– 962/14–4–4 दिनांक 11–09–2017 तथा आपके कार्यालय का पत्रॉक– 1771/वि.पा. खं.द्वि.(ल.)/220 के.वी. कुर्सी रोड पी.जी.सी.आई.एल. लाइन दिनांक 28–09–2017 इस कार्यालय का पत्रॉक– 1503/14–4–4 दिनांक 18–10–2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित करना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या एफ.न0 संख्या– 11–09/98 एफसी दिनांक 21–08–2014 एवं पत्र दिनांक 13–2–2014 के आलोक में उ0 प्र0 शासन वन अनुभाग–2 के पत्र संख्यां– पी–180/14–2–2016–800(203)/2016 दिनांक 01–08–2017 द्वारा जनपद बाराबंकी में जनपद बाराबंकी में निर्माणाधीन 220 के0वी0 कुर्सी रोड– पी0जी0आई0सी0एल0 लाइन लखनऊ पारेषण लाइन के टावर लोकेशन संख्या– 23 (बी+0) से (बी0+5) के मध्य वन विभाग की भूमि के ऊपर कन्डक्टर की स्प्रिंग करने हेतु प्रभावित 0.581 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है इसके क्रम में उक्त सभी निधियॉ, भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि तथा प्रभावित वन भूमि 0.581 हे0 आरक्षित वन भूमि के दोगुने 1.162 हे0 अवनत वन भूमि पर वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए) अलग–अलग ई–पोर्टल के माध्यम से दिनांक 14–10–2015 के बाद से लागू प्रक्रिया के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सम्बन्धित वेवसाइट www.forestsclearnce.nic.in में चालान के माध्यम से ई–पोर्टल के चालान द्वारा जमा करते हुए ई–पेमेन्ट के चालान की स्लिप के साथ सभी विन्दुओं पर अपनी अनुपालन आख्या एवं शपथ पत्र (वचनबद्धता) सहित सूचना निम्न विन्दुओं पर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाय। तदोपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का एन0आई0सी0 के माध्यम से प्राप्त ई–पेमेन्ट के चालान की छायाप्रति संहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या सहित (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0 प्रभावित वन भूमि के दोगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव तथा प्रभावित स्थल के आस– पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाय तत्पश्चात ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। (जमा की गयी धनराशि के चालान की प्रति जिसमें जारी करने वाले बैंक का नाम शाखा एवं दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित हो) प्रस्तुत किया जाय। अनुपालन आख्या सभी विन्दुओं पर अलग–अलग निर्धारित प्रपत्र में अवश्य प्रस्तुत किया जाय। अन्यथा अनुपालन आख्या मान्य नहीं होगी।

इस सम्बन्ध में आपके कार्यालय का संदर्भित पत्रॉक दिनांक 28–09–2017 के क्रम में पुनः इस कार्यालय के पत्रॉक– 1363/14–4–4 दिनांक 06–10–2017 द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी से संघन जॉच कर रिपोर्ट देने हेतु लिखा गया जिसके क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी ने अपने पत्रॉक– 67/14–4–4 दिनांक 16–10–2017 द्वारा सूचित किया है कि उक्त प्रस्तावित स्थल के आस– पास रिक्त पड़े स्थान पर 700 पौध ही सुरक्षा की दृष्टि से ब्लाक वृक्षारोपण में रोपित किये जा सकते है तथा 300 पौध ब्रिक गार्ड में रोपित करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में लगभग 01 माह व्यतीत हो गया है किन्तु आप द्वारा अभी तक अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत नही किया गया है। अतः आप सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार **अनुपालन आख्या सभी विन्दुओं पर अलग–अलग निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने का कष्ट करें, अन्यथा विलम्ब के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।**

1– प्रस्तावक विभाग द्वारा माननीय उच्चत्म न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या –5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौध रोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestration, Fund Management and Planning Authority) के पक्ष में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

2– प्रस्तावक विभाग के व्यय पर प्रभावित 0.581 हे0 वन भूमि के दोगुने 1.162 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु धनराशि रू0 752700 (सात लाख बावन हजार सात सौ मात्र) ई– पोर्टल के चालान के माध्यम से जमा कराये तथा चालान की प्रति संलग्नक करें।

3– प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस– पास रिक्त पड़े स्थानों पर **700 पौधों का सुरक्षा की दृष्टि से ब्लाक में तथा 300 पौधों का ब्रिकगार्ड में** कुल 1000 पौधों का रोपण एवं दस वर्षो तक रख रखाव सहित **धनराशि रू0 2217600/– (बाइस लाख सत्रह हजार छः सौ मात्र)** ई–पोर्टल के चालान के माध्यम से जमा किया जाय।

4– उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के ऑन लाइन ई– पोर्टल के माध्यम से ई– चालान द्वारा कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली के पक्ष में एन0आई0सी0 के माध्यम से ई–पोर्टल के चालान द्वारा जमा कराया जाय। उक्त निर्धारित धनराशि **(0.581 x 803000= 466543) रू0 466543/– (रू0 चार लाख छाछठ हजार पॉच सौ तैतालीस मात्र) ई–पोर्टल के माध्यम से** जमा कराया जाय तथा उसकी पठनीय शुद्ध प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत की जाय।

5– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।

6– वन भूमि की बैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

7– नोडल अधिकारी उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

8 प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आप–पास फ्लोरा (वनस्पति)/फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होगें। अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा /फॉना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगें।

9– प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10– प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुॅचायेगें और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुॅचती है अथवा पहुॅचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

11– उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी, जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0 प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

12– भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3/2007–एफसी(पीटी), दिनांक 19–08–2010 तथा पत्र संख्या **J-11013/41/2006-IA-II(I)** दिनांक 02–12–2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन वन्य

जीव की दृष्टि से स्टैण्डिंग कमेटी आफ नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया जाय।

13– उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों /शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक हो, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

14– राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होगी।

15– प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

16– यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी /नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा0 उच्चत्म न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

17– समस्त वैधानिक /प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

18– उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार /राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

19– इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 13–02–2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

20– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक– 11–9/98एफसी दिनांक 08–07–2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू संदर्भित डिजिटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करें। जिसमें वन सीमांओं को विशेष डाटा (SHP) फाइल में दर्शाया गया हो।

21– प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति एवं प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

22– भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या–7–25/2012 एफसी दिनांक 05–05–2014 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

23– उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण– पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

Observ No	Observation of GOI	Reply

भवदीय,

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

संख्या / दिनांकित।

1– प्रतिलिपि, क्षेत्रीय वन अधिकारी, देवा को उनके पत्रॉक– 67/14–4–4 दिनांक 16–10–2017 केवल में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक भारत सरकार तथा उ0 प्र0 शासन लखनऊ से विधिवत स्वीकृति /शासनादेश जारी न हो जाय तब तक ऐसा कोई कार्य न करने दिया जाय। जिससे वन संरक्षण अधिनियम–1980 एवं मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हो।

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी